RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण–**
श्री शंकरलाल पुत्र श्री हरजीराम, जाति प्रजापत, निवासी चाडों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. ग्राम सेवा सहकारी समिति, गालानाडी, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा 2. सरपंच ग्राम पंचायत खारा मेहचान, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा। 3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या NIL दिनांक 28.02.1981 तथा पट्टा संख्या NIL दिनांक 30.10.1984 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री जेठुलाल कुमावत व सांवलराम मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 स्वयं दौराने बहस अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या NIL दिनांक 28.02.1981 तथा पट्टा संख्या NIL दिनांक 30.10.1984 के विरूद्ध दिनांक 23.10.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रथम निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 इस आशय से पेश की गई कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति, गालानाडी, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा विधिक प्रकिया नहीं अपनाते हुए जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रमाण–पत्र की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत खारा महेचान से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. गालानाडी के नाम से राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी आबादी भूमि में जारी पट्टा जो कि मूल ग्राम पंचायत खारा महेचान में निर्मित बताया गया लेकिन उक्त से संबंधित रिकॉर्ड मय बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा मिसल पत्रावली इत्यादि रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जांच श्रीमान बीडीओं सिणधरी द्वारा 19.04.2023 से 21.04.2023 की गई, जिसके आधार पर पाया गया कि उक्त पट्टा कूटरचित है एवं इस संबंध में कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही कार्यालय पंचायत समिति सिणधरी दिनांक 01.08.2024 के जांच के आधार पर भी पाया गया है कि ऐसा कोई पट्टा पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा फर्जी एवं विधि विरूद्ध के आधार पर जारी होने पर खारिज करने का आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत चाडों की ढाणी, पंचायत समिति, सिणधरी ने दिनांक 20.12.2017 को जरिये नोटिस समचार पत्रिका में एक खबर प्रकाशित कराई कि ग्राम पंचायत चाडों की ढाणी की आम बैठक में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2017 के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति गालानाडी के नाम से राजस्व ग्राम गालानाडी व राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी में एक ही नाम से दोनो ग्राम पचांयतों में भूमि मय भवन है। यदि किसी संस्था/समिति/व्यक्ति के पास चाडों की ढाणी में निर्मित ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का पट्टा या अन्य कोई दस्तावेज हो तो सात दिवस में जमा करावे अन्यथा ग्राम पंचायत चणों की ढाणी में निर्मित भवन का पट्टा ग्राम सेवा सहकारी समिति चाडों की ढाणी के नाम से जारी कर दिया जायेगा। अखबार में प्रकाशित करने बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत चाडों की ढाणी में स्थित 6 एस एस एस से सम्बंधित दस्तावेज पट्टा दिनांक 28.02.1981 तथा पट्टा दिनांक 30.10.1984 की प्रतिलिपी ग्राम पंचायत चाढों की ढाणी में प्रस्तुत किया। उक्त दोनों पट्टे ग्राम सेवा सहकारी समिति गालानाडी के नाम से जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध कानूनी तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त दोनो पट्टे निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति गालानाडी ने तथाकथित पट्टा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खारा महेचान से सांठ गांठ करके अपने नाम से फर्जी रूप से जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 जारी उक्त आलोच्य उक्त पट्टे में मिसल सख्या तथा पट्टा नंबर को कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 पंचायत समिति सिणधरी के पत्रांक दिनांक 01.08.2024 के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति गालानाडी के नाम से ग्राम पंचायत खारा महेचान में कोई भी पट्टा जारी होना नहीं पाया गया और न ही उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पत्रावली पाई गई, होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत खारा महेचान के पत्रांक 2024-25/24 दिनांक 06.06.2024 के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गालानाडी के नाम राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी आबादी भूमि में जारी फर्जी पटटे की जांच के आधार पर पुरानी ग्राम पंचायत खारा महेचान में आलोच्य पट्टा संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा फर्जी एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा पट्टा दिनांक 28.02.1981 तथा 30.10.1984 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। जबकि उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत खारा मेहचान से तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत खारा महेचान के पत्रांक 2024–25/24 दिनांक 06.06.2024 अवगत कराया गया हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गालानाडी के नाम राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी आबादी भूमि में जारी फर्जी पटटे की जांच के आधार पर पुरानी ग्राम पंचायत खारा महेचान में आलोच्य पट्टा संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 पंचायत समिति सिणधरी के पत्रांक दिनांक 01.08.2024 के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति गालानाडी के नाम से ग्राम पंचायत खारा महेचान में कोई भी पट्टा जारी होना नहीं पाया गया और न ही उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पत्रावली पाई गई, होना बताया गया। अलावा इसके आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार पट्टा मिसल एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर अपूर्ण अंकित दिनांक के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है तथा आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा दिनांक 28.02.1981 तथा 30.10.1984 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पटटा पटटा दिनांक 28.02.1981 तथा 30.10.1984 जारी किया गया को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है, अधीनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा